राजस्थान सरकार
गृह(ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प. 12(01)गृह–1/2017 जयपुर, दिनांकः 14 OCT 2019

:: आदेश ::

पुलिस विभाग में उप निरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती परीक्षा में राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 21 के नियम 6(ए) में जो अभ्यर्थी अपराध विज्ञान (Criminology) में उपाधि (डिग्री) या डिप्लोमा या एन.सी.सी. का सी. सर्टिफिकेट धारक है या जिन्होने स्नातक परीक्षा में पुलिस प्रशासन (Police Administration) विषय लिया है, उन्हें तरजीह (Weight) दी जाएगी, का प्रावधान है।

उक्त नियम के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि जो अभ्यर्थी अपराध विज्ञान (Criminology) में उपाधि (डिग्री) या डिप्लोमा या एन.सी.सी. का सी. सर्टिफिकेट धारक है या जिन्होने स्नातक परीक्षा में पुलिस प्रशासन (Police Administration) विषय लिया है, उन्हें उप निरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती परीक्षा में साक्षात्कार हेतु निर्धारित 50 अंको में से निम्नानुसार न्यूनतम अंक दिये जायेंगेः–

स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की डिग्री/डिप्लोमा में प्राप्तांक	प्रस्तावित अंक (50 अंक साक्षात्कार में)		एन.सी.सी 'सी' सर्टिफिकेट धारक
Criminology/ Police Administration व अन्य पुलिस सम्बन्धी पाठ्यक्रम	डिग्री/पीजी डिप्लोमा अंक	डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट अंक	
75 % एवं अधिक	10	7.5	05 अंक
75–60 %	7.5	05	
60–50 %	05	2.5	

उक्त अपराध विज्ञान(Criminology) एवं पुलिस प्रशासन (Police Administration) विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित विवाद में उप–कुलपति, सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर का निर्णय अन्तिम होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

-sd-

(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3. उप–कुलपति, सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर।
4. महानिरीक्षक पुलिस(भर्ती), राजस्थान, जयपुर।
5. प्रोग्रामर, गृह (ग्रुप–6) विभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

15/10/19

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस